राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन,सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : edepmrmsc-rj@nic.in
CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website:- rmsc.health.rajasthan.gov.in

F8( )RMSC/IMC/EPM /2018/1902 Date: 19/06/2019

परिपत्र

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक/
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/
समस्त चिकित्सा संस्थान प्रभारी
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
राजस्थान।

विषयः– विभिन्न चिकित्सा संस्थानों हेतु क्रय किये गये बायोमेडिकल उपकरणों की क्रयादेश/स्पेसिफिकेशन अनुसार जाँच करने एवं मरम्मत एवं रखरखाव कार्यक्रम के अंतर्गत ई–उपकरण सॉफ्टवेयर में इंवेन्ट्री के सत्यापन के संबंध में।

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों से प्राप्त उपकरणों की मांग के आधार पर राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा निविदा के माध्यम से अनुबंधित दर–संविदाकृत फर्मो को उपकरणों के क्रयादेश दिये जाते हैं। क्रयादेश जारी किये जाने के पश्चात अधिकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा उपकरण की आपूर्ति चिकित्सा संस्थान पर की जाती है।

यह शिकायतें प्राप्त हुई है कि प्राप्तकर्ता चिकित्सा संस्थान द्वारा सामग्री/उपकरण प्राप्ति के समय उपकरण का क्रयादेश के स्पेसिफिकेशन से मिलान नहीं किया जाता है तथा कई बार मूल उपकरण के साथ निर्धारित सहायक उपकरण व Consumables की प्राप्ति की जाँच भी नहीं की जाती है। इससे आपूर्तिकर्ता से गुणवत्तापूर्ण व सम्पूर्ण आपूर्ति की पुष्टि सुनिश्चित नहीं हो पाती है।

अतः सभी चिकित्सा संस्थान प्रभारियों/ संबंधित द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों की क्रयादेश/स्पेसिफिकेशन अनुसार जाँच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि आपूर्तिकर्ता द्वारा सप्लाई किए गए उपकरण माँग/क्रयादेश/स्पेसिफिकेशन अनुसार हैं। यदि सप्लाई किए गए उपकरण के साथ क्रयादेश/स्पेसिफिकेशन की प्रति प्राप्त नहीं हुई है तो आर.एम.एस.सी.एल. की वेबसाईट http://www.rmsc.health.rajasthan.gov.in पर जाकर Approved Rate List> Equipment & Instrument से क्रयादेश/स्पेसिफिकेशन की प्रति डाउनलोड कर उपकरण की जाँच किया जाना सुनिश्चित करें। यदि सप्लाई किए गए उपकरण क्रयादेश/स्पेसिफिकेशन से भिन्न अथवा कम गुणवत्ता का है तो आर.एम.एस.सी.एल. की ई–मेल आई.डी. mdrmsc@nic.in एवं edepmrmsc-rj@nic.in पर तत्काल अवगत कराया जाए। किसी भी

स्थिति में क्रयादेश में दिए गए स्पेसिफिकेशन से भिन्न अथवा कम गुणवत्ता की सामग्री/उपकरण स्वीकार नही किए जाएं।

2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामान्य अस्पताल/ उप जिला अस्पताल एवं जिला अस्पतालो में स्थापित उपकरणों के रखरखाव, मरम्मत एवं प्रबंधन का कार्य *ई–उपकरण* सॉफ्टवेयर के माध्यम से निगम द्वारा अनुबन्धित सेवाप्रदाता के माध्यम से किया जा रहा है।

उपकरणों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए फर्म मैसर्स किर्लोस्कर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ निष्पादित अनुबंध की शर्तों के अनुसार ई–उपकरण सॉफ्टवेयर में उपकरणों की मैपिंग का कार्य माह जून से जुलाई–2018 में किया गया है। किन्तु ई–उपकरण सॉफ्टवेयर में मैपिंग किये गये सभी उपकरणों का सत्यापन चिकित्सा संस्थान प्रभारियों द्वारा नहीं किये जाने से उपकरणों के खराब होने की स्थिति में शिकायत दर्ज नही हो पा रही है।

अतः ई–उपकरण सॉफ्टवेयर में मैप किये गये उपकरण जिनका सत्यापन संबंधित चिकित्सा संस्थान प्रभारी द्वारा नहीं किया गया है तथा वे उपकरण चिकित्सा संस्थान पर उपलब्ध है उनका 15 दिवस में ई–उपकरण सॉफ्टवेयर में चिकित्सा संस्थान प्रभारी द्वारा सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ऐसे उपकरण जो चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध नहीं है उनको Reject किया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त आदेशों की पालना की समीक्षा आगामी वीडियों कॉन्फ्रेंस में की जावेगी।

18/6

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर

F8( )RMSC/IMC/EPM /2018/1902 Date: 19/06/2019

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम., जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक जन स्वास्थ्य, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जयपुर
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों से उक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी सर्वर रूम, स्वास्थ्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट http://www.rajswasthya.nic.in पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. रक्षित पत्रवाली।

प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.एल, जयपुर

F:\Letters IMC.docx